उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-13/2021-।/116127/2021-10-26001(002)/1/2021-4-
लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

शासन की विज्ञप्ति/प्रोन्नति संख्या-।/96943/2021-10-26001(002)/1/2021-4- दिनांक 13.09.2021 द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत पदोन्नत जिला लेखा परीक्षा अधिकारियो को अग्रिम आदेशों तक उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम में श्री राज्यपाल स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-5 में उल्लिखित जनपद/स्थान पर तत्काल प्राभाव से तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4	5
1	उमेश चन्द्र	हरदोई	मेरठ	सहायक निदेशक, गन्ना शोध संस्थान, शाहजहांपुर
2	आमोद शंकर शुक्ल	लखनऊ	गोण्डा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सिद्धार्थ नगर
3	अनिल कुमार श्रीवास्तव-।।	वाराणसी	लखनऊ	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कानपुर देहात
4	राजेश कुमार शुक्ल	लखनऊ	गोरखपुर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बलरामपुर
5	अजय कुमार	बहराइच	शाहजहांपुर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जालौन
6	प्रमोद कुमार मिश्र	गोण्डा	अयोध्या	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, चित्रकूट
7	राम प्रकाश पाण्डेय	आजमगढ़	जौनपुर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कौशाम्बी
8	अरविन्द कुमार सिंघल	आगरा	बरेली	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी , महराजगंज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- संबंधित अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती जनपद/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त अधिकारियों के अगले माह का वेतन उनकी नवीन तैनाती के स्थान से आहरित होगा।

हरिश्चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद ।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सजीवन
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।